न्यायालय–अमित कुमार शुक्ला, अवर न्यायाधीश (प्रथम), नरकटियागंज
स्वत्व वाद संख्या–08/2017
CIS-552/2018

आशीष कुमार.....वादी

बनाम

बांकेलाल प्रसाद एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

24.03.21 उभय पक्ष की पैरवी है। वादी की ओर से एक आवेदन दिनांक 02.01.21 अंतर्गत आदेश 22 नियम 4, 9 एवं परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत दाखिल किया गया है, जिस संबंध में प्रतिवादीगण की ओर दिनांक 10.03.21 को प्रत्युत्तर दाखिल किया गया है।

वादी का अपने आवेदन में कहना है कि प्रस्तुत वाद के प्रतिवादी संख्या–1 बांकेलाल प्रसाद की मृत्यु दिनांक 10.07.2020 को हो गई है तथा वे अपने पीछे आवेदन में वर्णित वारिसानों को छोड़ गए हैं। यह कि प्रतिवादीगण का घर वादी के घर से काफी दूर है, इसलिए आवेदन दाखिल करने में विलंब हुआ। अतः आवेदन दाखिल करने में हुए विलंब को माफ करते हुए वादपत्र से प्रतिवादी संख्या–1 का नाम कलमजद कर आवेदन में वर्णित उनके विधिक वारिसानों का नाम प्रतिस्थापित करने की कृपा की जाय।

इस संबंध में प्रतिवादीगण का कहना है कि वादी का आवेदन विधि एवं तथ्य की दृष्टि में चलने योग्य नहीं है, बल्कि खारिज होने योग्य है। यह कि प्रतिवादी संख्या–1 के मरने की सूचना वादी के आवेदन अनुसार 05.09.20 को दी गई, लेकिन सूचना के करीब 4 माह पश्चात प्रस्तुत आवेदन दिया गया है तथा प्रतिवादी संख्या–1 के विधिक वारिसान का नाम व पता आवेदन में दिया गया था, लेकिन वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या–1 के वारिसान का नाम व पता सही नहीं दिया गया है। यह कि आवेदन दाखिल करने में क्यों विलंब हुआ, इसका कोई कारण दर्शित नहीं किया गया है। अतः वादी का आवेदन खारिज होने योग्य है।

अभिलेख परिशीलन से विदित होता है कि वादी द्वारा प्रस्तुत आवेदन प्रतिवादी संख्या–1 बांकेलाल प्रसाद की मृत्यु हो जाने के कारण प्रतिस्थापना हेतु दाखिल किया गया है। उभय पक्ष इस तथ्य को स्वीकार करते हैं कि प्रतिवादी संख्या–1 की मृत्यु हो चुकी है। प्रतिवादीगण का कहना है कि वादी द्वारा प्रतिस्थापना आवेदन विलंब से दाखिल किया गया है तथा प्रतिवादी संख्या–1 के वारिसानों का नाम व पता उनकी सूचनानुसार नहीं दिया गया है। अभिलेख पर ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे दर्शित हो कि वादी द्वारा दाखिल प्रतिस्थापना आवेदन में वर्णित व्यक्तियों का नाम व पता गलत है। वादी का आवेदन शपथ पत्र से समर्थित तथा आवेदन दाखिल करने में हुए विलंब को माफ करने हेतु आवेदन भी दाखिल किया गया है। ऐसी दशा में न्याय हित में वादी द्वारा आवेदन दाखिल करने में हुए विलंब को माफ करते हुए वादी का आवेदन 500/–रू. हर्जे पर स्वीकृत किया जाता है तथा कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि वह वादपत्र से प्रतिवादी संख्या–1 का नाम विलोपित करते हुए आवेदन में वर्णित व्यक्तियों को प्रतिस्थापित करें। तत्पश्चात वादी प्रतिस्थापित प्रतिवादीगण की उपस्थिति हेतु समन की अपेक्षिकाएँ दाखिल करें। साथ ही यदि प्रतिवादी संख्या–1 के विरूद्ध उपसमन हुआ है तो उसे अपास्त किया जाता है। वास्ते अग्रिम कार्रवाई दिनांक 05.05.21

अवर न्यायाधीश(प्रथम)